मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक एफ-3/136/10-2/2000 भोपाल, दिनांक 25 जनवरी, 2001

प्रति,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
मध्यप्रदेश,
भोपाल।

विषय:- ग्राम स्वराज की स्थापना।

प्रदेश में ग्राम स्वराज लागू करने के संबंध में गठित किये गये टास्क फोर्स की अनुसंशाओं के आधार पर निम्नलिखित अधिकार ग्राम सभाओं को प्रत्यायोजित किये जाते है:-

1. संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत गठित समस्त प्रकार की समितियों का संचालन ग्राम सभा के नियंत्रण में रहेगा।
2. अधिकार क्षेत्र में स्थित वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी ग्राम सभा की होगी वही उसकी व्यवस्था करेगी। गाँव की अपनी आम जरूरतों जैसे चराई, जलाऊ लकड़ी इत्यादि के लिये अथवा घर और हल बनाने जैसी जरूरतों के लिये बाँस, बल्ली वगैरह निकालने के लिये ग्राम सभा संबंधित अधिकारियों की सलाह से वनों के उपयोग की एक योजना बनायेगी।
3. ग्राम सभा क्षेत्र में स्थित वनों के विभागीय दोहन का कार्यक्रम बनाने के पहले वन विभाग के लिये ग्राम सभा से परामर्श अनिवार्य होगा।
4. क्षेत्रों में वनों के संरक्षण, पर्यावरण में सुधार और स्थानीय रास्तर पर रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से उपयुक्त कार्यक्रम बनाने के लिये सक्षम होगी।
5. ग्राम सभा अपने क्षेत्र से निकलने वाली या गुजरने वाली लकड़ियों और वनोपज की जाँच पड़ताल के लिये सक्षम होगी।
6. अधिसूचित लघु वनोपज के विनास, संरक्षण, संग्रहण, विपणन के समस्त अधिकार।
7. लघु वनोपजों के गौर नाशवान विदोहन के लिये ग्राम सभा क्षेत्र में पाई जाने वाली मात्रा की सीमा ग्राम सभा तय करेगी।
8. अधिसूचित लघु वनोपजों के संबंध में ग्राम सभा संबंधित अधिकारों को शासन के निर्देशों के पालन में सहयोग देगी।
9. कोई ग्राम सभा अपने क्षेत्र के लिये अथवा एक से अधिक ग्राम सभा जैसे किसी जिला या विकास खण्ड की सभी ग्रामसभायें व्यापक क्षेत्र के लिये वन विभाग से सलाह करके अधिसूचित वनोपज की खरीद के लिये न्यूनतम मूल्य या विभिन्न वस्तुओं के बीच वस्तु विनिमय की दर निर्धारित करेगी।
10. कृषि वानिकी एवं सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना।

11. अराष्ट्रीयकृत औषधी पौधों का विदोहन, रख-रखाव एवं उनके व्यापार पर नियंत्रण।

12. चराई शुल्क की वसूली।

यह व्यवस्था दिनांक 26 जनवरी, 2001 से प्रभावशील होगी।

हस्ता/-
(धर्मेन्द्र शुक्ला)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
भोपाल, दिनांक 25 जनवरी, 200

पृ. क्रमांक-3/136/10-2/2000

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
2. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. समस्त वन संरक्षक, मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
6. समस्त वनमंडलाधिकारी, मध्यप्रदेश।
7. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

हस्ता/-
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग